न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 14/2015 – आ0नि0

1. श्री सुरजकरण आत्मज लादूलाल गुर्जर निवासी काशीपुरिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. श्री मगना आत्मज उगमा गुर्जर निवासी काशीपुरिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री उम्मेद आत्मज रसूल पिनारा निवासी रहड तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आंवटन नियम 1970

उपस्थित :–

1. श्री भोपाल लाल गुर्जर अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री रमेश चेचाणी अधिवक्ता – विपक्षी सं0 1 की ओर से
3. श्री विपुल बापना राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी सं. 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 31.07.2017

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आंवटन नियम 1970 प्रस्तुत हुआ, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन कमेटी शाहपुरा कैम्प रहड़ द्वारा दिनांक 15.12.2010 को ग्राम रहड़ तहसील शाहपुरा की आराजी सं. 823, रकबा 0.55 हैक्ट. व 304/3077 रकबा 0.42 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 0.97 हैक्ट. भूमि का आवंटन विपक्षी सं. 01 को किया गया जो विधि एवं आवंटन नियमों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य हैं । ग्राम रहड की आराजी नं. 304/3077 रकबा 0.42 हैक्ट. जो कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की हैं । इस भूमि पर प्रार्थीगण पिछले 15 वर्षों से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार यह आवंटन बिना कब्जे की जाँच व परख किये विपक्षी सं. 01 को किया गया जो नियम विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। आवंटनसुदा भूमि से लगी हुई प्रार्थीगण की अन्य आराजियात आराजी नं. 301,302,304 व 300 स्थित हैं । जिसे प्रार्थीगण ने विपक्षी सं. 01 से क्रय की थी तथा आराजी सं. 304/3077 मौके पर प्रार्थीगण द्वारा क्रय की गई इन आराजियात से मिली होकर एकरूप होकर एक चक बना हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण इस आराजी को आवंटन नियमों के तहत छोटी पटटी के रूप में अपने नाम पर कराने की पात्रता रखते हैं, फिर भी विपक्षी सं. 01 ने जानबूझकर आवंटन कमेटी से मिलीभगत कर अपने नाम पर आवंटित कराई हैं जो निरस्त होने योग्य हैं। आवंटी सद्भाविक काश्तकार नहीं हैं एवं न ही उसका मुख्य धंधा खेती ही हैं। आवंटी स्वयं ट्रक मालिक हैं तथा अपनी इस ट्रक को स्वयं ही चलाता हैं । विपक्षी सं. 01 व उसके परिवार की आजीविका का मुख्य साधन कृषि नहीं हैं। आवंटन नियमों के अनुसार आवंटित भूमि पर आवंटन के पहले साल आधे भू भाग पर व दूसरे साल सम्पूर्ण भू भाग पर फसल काश्त करना

आवश्यक हैं , परन्तु आवंटी ने इन नियमों की पालना नहीं की हैं। इस कारण आवंटन निरस्त होने योग्य हैं । प्रार्थीगण भूमिहीन काश्तकार हैं जो आवंटन की पात्रता रखते है। आवंटी के पास पूर्व में ही काफी भूमि होकर लैण्ड लोर्ड हैं । आवंटित भूमि के आवंटन बाबत् उद्घोषणा नहीं निकाली गई । यदि इस भूमि की आवंटन से पूर्व सार्वजनिक रूप से उद्घोषणा निकाली होती तो प्रार्थीगण अवश्य ही राजस्व कैम्प में जाकर इस भूमि का विपक्षी सं. 01 को आवंटन नहीं होने देते व इस आवंटन का विरोध करते व विवादित आराजियात पर पुराना कब्जा होने से व प्रार्थीगण की आराजियात से लगी होने से इस आराजी को 'स्ट्रीप ऑफ लैण्ड' (Strip of Land) के रूप में अपने नाम से आवंटित कराने का प्रयास करते। इस प्रकार बिना उद्घोषणा व बिना ग्रामवासियों की जानकारी के यह आवंटन किया गया जो निरस्त होने योग्य हैं । आवंटी ने प्रार्थनापत्र के कॉलम नं. 02 को खाली छोड़ा । इसमें आवंटी के नाम पर व उसके परिवार के नाम पर कितनी भूमि हैं, उसका ब्यौरा देना होता हैं, लेकिन आंवटी ने इस कॉलम में इसका विवरण नहीं दिया है। इस प्रकार आवंटी ने तथ्यों को छिपाकर आवंटन कराया जो गलत होकर निरस्त होने योग्य हैं । अतः निवेदन हैं कि विपक्षी सं. 01 को आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 15.12.2010 को ग्राम रहड तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा की आराजी नं. 304/3077 रकबा 0.42 हैक्ट. भूमि के किये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जावे तथा यह आराजी प्रार्थीगण को आवंटित करने के लिए आवंटन कमेटी को आदेश फरमाया जावे ।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.09.2015 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये तथा भू-आवंटन संबंधी रेकार्ड तलब किया गया। विपक्षी सं. 01 की ओर से दिनांक 19.02.2016 को जवाब प्रस्तुत हुआ।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दु सं. 01 से लगायत 14 को दोहराते हुये विपक्षी नं. 01 को आवंटन कमेटी द्वारा ग्राम रहड की आराजी नं. 304/3077 रकबा 0.42 हैक्ट. भूमि के किये गये आवंटन को निरस्त कराये जाने की प्रार्थना की है । प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में विधिक दृष्टान्त रा.भू.रा. (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 पेज नं. 129 एवं राज. लेण्ड रेवेन्यु रूल्स 1970 पेज नं. 9 प्रस्तुत किये ।

विपक्षी सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण ने स्वयं को ग्राम काशीपुरिया तहसील शाहपुरा के निवासी होना बताकर उपरोक्त प्रकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, जबकि ग्राम काशीपुरिया तहसील शाहपुरा में नहीं होकर तहसील फुलियाकलां का ग्राम हैं । प्रार्थीगण ने रहड के आवंटन को खारिज करने के लिये ग्राम काशीपुरिया को कपटपूर्वक दुर्व्यपदेशन करते हुए तहसील शाहपुरा में होना बताकर उपरोक्त प्रकरण की कार्यवाही संस्थित कराई हैं, जो कानूनन पोषणीय नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना खारिज योग्य हैं । वर्ष 2010 में किये गये आवंटन को अपास्त कराने के लिये 5 वर्ष की लम्बी अवधि के पश्चात् प्रार्थीगण ने उपरोक्त प्रकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, जो पोषणीय नहीं हैं। विपक्षी सं. 01 भूमिहीन एवं सद्भावी काश्तकार हैं । विपक्षी सं. 01 के परिवार में कुल 17 बीघा भूमि हैं , जिसमें 3 भाईयों का हिस्सा हैं । इस प्रकार विपक्षी सं. 01 की पात्रता के आधार पर ही उसके पक्ष में आवंटन किया गया , जो पूर्णतया विधि सम्मत एवं सही हैं, जिसे निरस्त कराने का प्रार्थीगण को कोई हक अधिकार नहीं हैं । विधिवत् उद्घोषणा जारी होने के उपरान्त ही आवंटन कमेटी ने कैम्प रहड में विपक्षी सं. 01 की पात्रता के आधार

पर उसके पक्ष में भूमि आवंटित की हैं, जो प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित किसी भी आधार पर निरस्त योग्य नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

उपभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया । भूमि आवंटन पत्रावली सं. 450/2010 में आवंटी उम्मेद पुत्र रसूल पिनारा निवासी रहड के नाम ग्राम रहड के आराजी नं. 823 रकबा 0.55 हैक्ट. व 304/3077 रकबा 0.42 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 0.97 हैक्ट. भूमि भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 15.12.2010 को आवंटन की गयी। प्रार्थी ने आ.नं. 304/3044 रकबा 0.42 हैक्ट. के आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं । ग्राम रहड के आ.नं. 304/3077 रकबा 0.42 हैक्ट. की उद्घोषणा होने के पश्चात् ही आवंटन किया गया हैं । प्रार्थी ने ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह माना जाये कि आवंटित भूमि की उद्घोषणा नहीं हुयी। (1) प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी का भूमिहीन नहीं होने के बाबत् कोई साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत नहीं किये हैं । नियम 1970 के नियम 12 के अनुसार 4 हैक्ट. तक भूमि धारित करने वाला काश्तकार भूमिहीन की श्रेणी में आता है। विप्रार्थी 4 हैक्ट. से अधिक भूमि धारित करता हो , ऐसे कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं हैं । (2) विप्रार्थी ने तथ्यों को छिपाकर भूमि आवंटित करवायी हो , ऐसे तथ्य भी पत्रावली पर नहीं हैं। विप्रार्थी सद्भावी काश्तकार नहीं हैं। यह साबित करवाने में भी प्रार्थी असफल रहा हैं । (3) छोटी पटटी के रूप में ऐसी भूमियों का ही आवंटन किया जा सकता हैं जो रिक्त हो । किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित न की गई हो । केवल पास में भूमि स्थित होने से प्रार्थी उक्त भूमि को छोटी पटटी के रूप में आवंटित करवाने की अधिकारिता नहीं रखता हैं। आवंटित भूमि का कब्जा विपक्षी आवंटी को सुपुर्द कर दिया गया हैं। सनद जारी है। गैर खातेदारी से दर्ज है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत खारिज योग्य ठहरता हैं । अतएव–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है एवं विपक्षी सं. 01 के नाम ग्राम रहड तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा के आराजी नं0 304/3077 रकबा 0.42 हैक्ट. भूमि का विपक्षी सं. 01 के नाम पर दिनांक 15.12.2010 को किये गये आवंटन को यथावत रखा जाता है । निर्णय की प्रति तहसीलदार शाहपुरा को संप्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा को संप्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/07/17

(एल.आर. गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा